MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19 December, 2019

S.O. 4569(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, number S.O. 1796(E), dated, the 18th May, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Existing Court	Jurisdiction as Special Court
(1)	(2)	(3)
"1	Courts of Additional Sessions Judges Anti-corruption, Jammu and Srinagar	Union territory of Jammu and Kashmir".

[F. No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1796(E), dated, the 18th May, 2016 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 3119(E), dated the 28th August, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली,19 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4570(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों की सहमति से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित निम्नलिखित न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नाम-निर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

(क) उक्त अधिनियम की धारा 435 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अनुसार 2 वर्ष या अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन से, अर्थात् :-

सारणी 1

क्र.सं.	न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1	अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-IV का न्यायालय, देहरादून	उत्तराखंड राज्य
2	प्रधान सत्र न्यायाधीश, लेह	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 435 की उप-धारा (2) के खंड (ख) में यथा-उल्लिखित अन्य अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन से, अर्थात् :-